UTTARAKHAND

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड,लोक निर्माण विभाग
नैनीताल।

☎ :05942 –235079, 233764 Fax,235079, Email: eecdnainitalpwd@rediffmail.com

पत्रांकः– 1084 / 18 M.g दिनांकः– 20/04/2023

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
नैनीताल वन प्रभाग,
नैनीताल।

विषयः– जनपद नैनीताल में दरमोली पिठाली सम्पर्ग मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.19 हैक्टयर वनभूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।(प्रस्ताव सं0 FP/UK /ROAD/ 8248/2014)

संदर्भः– अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षक, इन्दिरानगर, फारेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड देहरादून का पत्रांक 2202/FP/UK/ROAD/8248/2014 दिनांक 22.02.2021

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र एवं भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून के पत्रांक 8बी/यू0सी0पी0/06/91/2018/एफ0सी0/2297 दिनांक 17.02.2021 द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति की अधिरोपित शर्तो की अनुपालन आख्या बिन्दुवार निम्नवत प्रेषित है:–

1– शर्त संख्या–1 के अनुपालन में वनभूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जायेगी।

2–शर्त संख्या–2 के अनुपालन में परियोजना के लिए आवश्यक गैर वनभूमि(नापभूमि) को अधिग्रहित कर लिया गया है।

3– शर्त संख्या–3 **प्रतिपूरक वनीकरणः–**

(क) खण्ड द्वारा 2.380 हैक्टयर, गैर वानिकी भूमि ग्राम अधोडा (धारी) में खसरा नं0 2923 मध्ये जिलाधिकारी नैनीताल के आदेश पत्रांक 2928/12–ज्येड0ए0सी0/2022–23 दिनांक 10.01.2023 द्वारा उपलब्ध करायी गयी सिविल भूमि पर प्रतिपूरक वनीकरण एवं दस वर्षो तक रख–रखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों के आधार पर) रू0 8,02,498.00 (आठ लाख दो हजार चार सौ अठान्बे मात्र) वन विभाग के पक्ष में भारतीय स्टेट बैंक नैनीताल से नैफ्ट/आर0टी0जी0एस0 चालान के माध्यम से दिनांक 11.02.2022 को जमा की जा चुकी है। **(संलग्नक–1)** वन विभाग द्वारा उक्त क्षेत्र में स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाएगा, ताकि प्रजातियों की एकल कृषि से बचा जा सकेगा।

(ख) क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु उपलब्ध करायी गयी भूमि ग्राम अधोडा (धारी) में खसरा नं0 2923 मध्ये 2.380 हैक्टयेर सिविल भूमि का वन विभाग के पक्ष में नामान्तरण/ हस्तान्तरण जिलाधिकारी नैनीताल के आदेश पत्रांक 2928/12–ज्येड0ए0सी0/2022–23 दिनांक 10.01.2023 के आधार पर अमल दरामद खतौनी में दर्ज करा दी गयी है।**(संलग्नक–2 से 3)।**

(ग) इस बिन्दु से संबंधित वांछित प्रमाण पत्र तैयार कर संलग्न किया जा रहा है। कृपया इसमें हस्ताक्षर कर अपने स्तर से आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें। **(संलग्नक–4 से 5)**

4– प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर, यदि आवश्यक हो, तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन और स्तंभन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वन विभाग के पास जमा की जाएगी। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षो तक अनुरक्षित किया जाएगा। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यो के लिए प्रत्याशित लागत वृद्धि हेतु उपयुक्त प्रावधान शामिल किए जा सकते है, मान्य है।

Scanned by CamScanner

5– शर्त संख्या–5 **शुद्ध वर्तमान मूल्यः–**

(क) भारत सरकार के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP(C) संख्या 202/1995 में IA नम्बर 556 दिनांक 30.10.2002, 01,08,2003, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5–1/1998–एफ0सी0(पी0टी0.2) दिनांक 18.09.2003, 5–2/2006–एफ0सी0 दिनांक 03.10.2006 एवं 5–3/2007–एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 में जारी दिशानिर्देशानुसार मूल्य रू0 7,81,830.00 (सात लाख इक्कासी हजार आठ सौ तीस मात्र) की धनराशि 1.19 हैक्टेयर वनक्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य/एन0पी0वी0 आन लाईन जमा करा दिया गया है। **(संलग्नक–6)**

(ख) विशेषज्ञ समिति से रिर्पोट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वनभूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि यदि कोई हो जो अंतिम रूप देने के बाद देय हो, को जमा करने के आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत किया है। **(संलग्नक–7)**

6– शर्त संख्या–6 के अनुपालन में प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेंडो की कटाई को न्यूनतम रखेगा एवं प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या प्रस्ताव के अनुसार 213 trees and 4 saplings से अधिक नही होगी एवं पेड राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के साथ पेडो की कटाई की लागत जमा की जाएगी का बचनबद्धता प्रमाण पत्र। **(संलग्नक–8)**

7– शर्त संख्या–7 के अनुपालन में समस्त धनराशि ई–पोर्टल (https://praivash.nic.in) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबन्धक और योजना प्राविधकरण फण्ड में स्थानान्तरित /जमा किया गया है। कैम्पाकोष में जमा प्रति संलग्न है। **(संलग्नक–6)**

8– शर्त संख्या–8 के अनुपालन में गाईडलाईन्स में दिए गए दिशानिर्देशो के पैरा 11.2 के अनुसार राज्य सरकार विधिवत् स्वीकृति से पूर्व वृक्षों के कटान अथवा कार्य प्रारम्भ करनें के लिए पारित किये गये आदेश की प्रति इस कार्यालय को प्रेषित करेगी। साथ ही राज्य सरकार इसकी कड़ाई से निगरानी करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि इस तरह की अनुमति जारी करने की दिनांक से एक वर्ष की समाप्ति तक आदेश में उल्लेखित कार्य के अलावा कोई और गतिविधि नही की जाएगी।

9– शर्त संख्या–9 के अनुपालन में एफ0आर0ए0–2006 का पूर्ण अनुपालन संबंधित जिला कलैक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जायेगा।

10– शर्त संख्या–10 के अनुपालन में आई0आर0सी0 मानदण्डों के अनुसार सड़क के दोनों किनारों एवं उसके बीचों बीच पौधों की संख्या बढा दी जायेगी।

11– शर्त संख्या–11 के अनुपालन में संरक्षित क्षेत्रों/ वनक्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ क्षति विनियम साईनेज लगाया जायेगा।

12– शर्त संख्या–12 के अनुपालन में पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के प्राविधानों के अनुसार उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति की आवश्कता नहीं है। **(संलग्नक–9)**

13– शर्त संख्या–13 के अनुपालन में केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले–आउट प्लान नहीं बदला जायेगा।

14– शर्त संख्या–14 के अनुपालन में वनभूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जायेगा।

15– शर्त संख्या–15 के अनुपालन में मजदूरों को राजकीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईधन के किसी अन्य कानूनी श्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईधन दिया जायेगा।

16– शर्त संख्या–16 के अनुपालन में संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार प्रत्यावर्तित वनभूमि की सीमा को परियोजना की लागत पर ही भूमि पर सीमांकन कराया जायेगा।

17– शर्त संख्या–17 के अनुपालन में परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जायेगा।

18– शर्त संख्या–18 के अनुपालन में वनभूमि का उपयोग परियोजनों के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजन के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जायेगा।

19– शर्त संख्या–19 के अनुपालन में केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वनभूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेन्सियो, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तान्तरित नहीं की जायेगी।

Scanned by CamScanner

20– शर्त संख्या–20 के अनुपालन में इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम–1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशा निर्देश फाईल संख्या 11–42/2017–एफ0सी0 दिनांक 29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्यवाही होगी, मान्य है।

21– शर्त संख्या–21 के अनुपालन में पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय–समय पर निर्धारित शर्तें लागू होंगी, मान्य है।

22– शर्त संख्या–22 के अनुपालन पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप सेह तय सीमा से नीचे न गिरें। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पैधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुनर्जीवित करने का कार्य किया जाएगा। मलवे को यथा स्थान रखने हेतु दीवारें बनाई जाएगी। निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सौपने से पूर्व, इनका स्थिरीकरण एवं सुधारी कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। मलुवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई की अनुमति नही होगी, मान्य है।

23– शर्त संख्या–23 के अनुपालन में यदि कोई अन्य संबंधित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम /न्यायालय/आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं, तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार /प्रयोक्ता एजेन्सी की जिम्मेदारी होगी, मान्य है।

24– शर्त संख्या–24 के अनुपालन में यह रिर्पोट ई–पोर्टल (https://praivash.nic.in) पर अपलोड कर प्रेषित की जायेगी।

अतः उपरोक्तानुसार सैद्वान्तिक स्वीकृति के अधिरोपित शर्तो की बिन्दुवार अनुपालन आख्या हार्ड कापी चार प्रतियों में मय संलग्नक के अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नः– उपरोक्तनुसार 4–4 हार्ड प्रतियों में कुल 52 पृष्ठ ।

भवदीय

O/C

(इं0 संजय कुमार पाण्डे)
अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0नि0वि0
नैनीताल
19/04/2023

पत्रांकः– 1084 / 13 Mग दिनांकः– 20/4/23

प्रतिलिपि सहायक अभियन्ता द्वितीय, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, नैनीताल को सूचनार्थ एवं इस निर्देश के साथ प्रेषित कि प्रभागीय वनाधिकारी नैनीताल के कार्यालय में व्यक्तिगत सम्पर्क स्थापित कर अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन, वन एवं पर्यावरण अनुभाग–4, देहरादून के पत्रांक 941/(1) X–4–18/1–05(4)/2014 दिनांक 26.09.2018 के तहत मोटर मार्ग के निर्माण की अनुमति प्राप्त करने उपरान्त प्रभावित वृक्षों के पातन संबंधित कार्यवाही कराना सुनिश्चित करे।

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0नि0वि0
नैनीताल
19/04/2023

Scanned by CamScanner

संलग्नक-1

AGENCY COPY

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया Union Bank of India

आन्ध्रा Andhra | कार्पोरेशन Corporation

NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 09-02-2022

Agency Name.	EE CD NAINITAL
Application No.	6182480280
MoEF/SG File No.	8B/UCP/06/91/2018/FC
Location.	UTTARANCHAL
Address.	Construction division, P.W.D. NainitalNainital
Amount(in Rs)	1584328/-

Amount in Words :Fifteen Lakh Eighty-Four Thousand Three Hundred and Twenty-Eight Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	UBIN0903710
Pay to Account No.	150896182480280 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India Lodhi Complex Branch, Block 11,CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

After making successful payment, User Agencies ma
Email: helpdeskcampa@corpbank.co.in

Note:After making the required payment through cha
even after 7 working days, then kindly mail a copy of
Email: cb0371@unionbankofindia.com

भारतीय स्टेट बैंक
11 FEB 2022

Q-733

Exec
Construct
N

UTR- SBIN2220424

संलग्नक-2

क्रमांक सं० 89
पत्रावली सं० 18 m9
दिनांक 11-01-23

संशोधित आदेश

इस कार्यालय के आदेश संख्या 110/12–ज्येड.ए.सी./2022 दिनांक 31.08.2020 द्वारा जनपद नैनीताल के अंतर्गत प्यूडा इण्टर कॉलेज होते हुए बिरखन सूड मोटर मार्ग के सापेक्ष क्षतिपूरक–वृक्षारोपण हेतु दुगने क्षेत्रफल की कुल 5.296 है. सिविल भूमि को वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित/नामान्तरित किये जाने हेतु ग्राम अधोड़ा पट्टी पदमपुर तहसील धारी, जनपद नैनीताल के नॉन ज्येड.ए. खतौनी श्रेणी 9(3)ड़ अंतर्गत खाता संख्या 4757 के खसरा नम्बर 2923 मध्ये रकबा 5.296 है0 सिविल भूमि क्षतिपूरक–वृक्षारोपण हेतु वन विभाग के नियन्त्रण में त्रुटिवश हस्तान्तरित की गई है।

अतः उक्त आदेश को निरस्त कर संशोधित करते हुए जनपद नैनीताल में प्यूड़ा इण्टर कालेज से होते हुए कूल–बिरखन–सूड मोटर मार्ग 2.916है. एवं दरमोली से पिठौली मोटर मार्ग हेतु 2.380है. भूमि को क्षतिपूरक–वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित की गई भूमि को वन विभाग के पक्ष में नामान्तरण एवं हस्तान्तरण किया जाता है साथ ही तहसीलदार धारी को निर्देशित किया जाता है कि तद्नुसार ही राजस्व अभिलेखों में अमलदरामद कने उपरान्त खतौनी नकल की प्रति प्रभागीय वनाधिकारी, नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल एवं याचक विभाग अधिशासी अभियंता, निर्माण खण्ड, लो.नि.वि., नैनीताल को भी उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

दिनाँकः जनवरी, 2023

ह0/–
(धीराज सिंह गर्ब्याल)
जिलाधिकारी,
नैनीताल।

अमीन

EE
10-1-23

कार्यालय जिलाधिकारी, नैनीताल।

पत्रांक-2928/12–ज्येड.ए.सी./2022–23 दिनाँकः 10 जनवरी, 2023

प्रतिलिपि– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. प्रभागीय वनाधिकारी, नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल।
2. उपजिलाधिकारी, धारी।
3. अधिशासी अभियंता, निर्माण खण्ड, लो.नि.वि., नैनीताल।
4. तहसीलदार, धारी।

(शिवचरण द्विवेदी)
अपर जिलाधिकारी(प्रशा.)
नैनीताल।

Photo Copy Attested

Assistant Engineer
Construction Division
P.W.D., Nainital.

Scanned by CamScanner

संलग्नक-3

उद्धरण खतौनी NZA

ग्राम अधौड़ा पट्टी पदमपुर सु०का० क्षेत्र चौगढ़ तहसील खनस्यूँ जिला नैनीताल फसली वर्ष 1430-1435

खाता सं.	नाम खातेदार पिता/पति का नाम	मुद्दत काश्त	खेत नम्बर	रकबा	लगान	परिवर्तन सम्बन्धी आदेश						विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
57	श्रेणी 9(3)ङ - कृषि योग्य बंजर भूमि बंजर	—	7 9 15 ↑ ↓ 2894 2923 2927 ↑ ↓ 4533 4535 4543	0.093 0.020 0.019 ↑ ↓ 0.232 27.676 0.015 ↑ ↓ 0.119 0.049 0.016		कार्यालय जिलाधिकारी नैनीताल के पत्र सं० 110/12-स्पे०इ०-सी०/2020 दिनांक 31/08/2020 के अनुसार जनपद नैनीताल के अन्तर्गत पुडा इण्टर कालेज होते हुए बिरखन रूड मोटर मार्ग के सापेक्ष क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु दुगन स्रोपाल की कुल 5.296 हे० भूमि ग्राम-अधौड़ा, पट्टी-पदमपुर त०-खनस्यूँ जिला-नैनीताल के नोन-जेड०ए० खतौनी श्रेणी 9(3)ङ के खाता सं०-57 के खसरा संख्या 2923 मध्ये 5.296 हे० भूमि को क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में हस्तांतरित की। ह० र० का० 19/09/2020 संशोधित आदेश जिलाधिकारी महोदय नैनीताल के कार्यालय पत्रांक 2928/12-स्पे०इ० ए०सी०/2022-23, दिनांक 10 जनवरी 2023 के क्रम में पूर्व के कार्यालय आदेश पत्र सं० 110/12-स्पे०इ०-सी०/2020 दिनांक 31/08/2020 द्वारा जनपद नैनीताल के अन्तर्गत पुडा इण्टर कालेज होते हुए बिरखन रूड मोटर मार्ग के सापेक्ष क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु दुगन स्रोपाल 5.296 हे० भूमि जो ग्राम अधौड़ा के नोन-जेड०ए० खतौनी श्रेणी 9(3)ङ के खसरा नं० 2923 मध्ये रकबा 5.296 हे० भूमि चिन्हित भूमि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग को हस्तांतरित की गयी थी, इस आदेश को निरस्त कर। संशोधित आदेशानुसार जनपद नैनीताल में पुडा इण्टर कालेज से होते हुए बिरखन रूड मोटर मार्ग हेतु 2.916 हे० एवं दरमोली से [illegible] हेतु 2.380 हे० भूमि को क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु कुल 5.296 हे० भूमि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित की गयी भूमि को वन विभाग के पक्ष में हस्तांतरित की गयी दर्ज किया।						
		योग	563	339.990								

नोट - नकल N.Z.A. खतौनी असल से तैयार की गयी।

[stamp: पदमपुर ... जनपद-नैनीताल] .../04/2023

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी,
हल्द्वानी वन प्रभाग, हल्द्वानी।

प्रांगिक सं० 2019
पत्रावली सं० G2G 1847/
दिनांक [illegible] 21/12/2024

तिकोनिया वन परिसर, हल्द्वानी (नैनीताल) दूरभाष/फैक्स : 05946-220002, ई.मेल : dfohld@gmail.com

पत्रांक 1256 / 12-1 हल्द्वानी, दिनांक 5 /12 /2024

सेवा में,

वन संरक्षक,
पश्चिमी वृत्त
हल्द्वानी, उत्तराखण्ड।

विषयः— जनपद नैनीताल में दरमोली से पिठोली सम्पर्क मार्ग के निर्माण हेतु 1.19है0, प्यूड़ा इन्टर कालेज से होते हुए कूल-विरखन-सूड-मोटर मार्ग 1.458 है0 कुल 2.648 है0 एवज में जनपद-नैनीताल, तहसील-धारी, पट्टी-पदमपुर, ग्राम-अघौड़ा के नाम जेड0ए0 खतौनी के श्रेणी 9(3)(ड़) कृषि योग्य बंजर भूमि खाता सं0 4757, खसरा सं0 2923 मध्ये 5.296 है0 भूमि को क्षतिपूरक वनीकरण हेतु राज्य वन विभाग के नाम दर्ज होने के उपरान्त संरक्षित वन घोषित किये जाने संबंधित अधिसूचना के संबंध में।

सन्दर्भः— भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय देहरादून का पत्रांक 8बी0/यू0सी0पी0/06/91/ 2018/एफ0 सी0/2297, दिनांक 17.02.2021 एवं 8बी0/यू0सी0पी0/06/67/2019/एफ0 सी0/286, दिनांक 09.06.2020 (संलग्न-1)।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है, कि प्रश्नगत प्रकरण में निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति के शर्त संख्या 3(ख) के अनुपालन में प्रत्यावर्तित वन भूमि के एवज मे इस वन प्रभाग के डांडा वन क्षेत्रान्तर्गत चयनित क्षतिपूरक वृक्षारोपण की सिविल भूमि ग्राम अधौड़ा, पट्टी पदमपुर, तहसील धारी जिला नैनीताल खसरा संख्या 2923म0 की 5.296 है0 का हस्तांतरण व्यापक जनहित के दृष्टिगत वन विभाग के पक्ष में जिलाधिकारी, नैनीताल द्वारा अमलदरामद संशोधित आदेश/पत्रांक 2928/12-ज्येड0ए0सी0/2022-23, दिनांक 10.01.2023 के द्वारा किया गया है (संलग्न-02), जिसका विवरण निम्नवत् है:-

तालिका

क्र0 सं0	जिला	ग्राम	पट्टी	खाता संख्या	खसरा संख्या	कुल क्षेत्रफल(है0 में)	भूमि की किस्म
1	2	3	4	5	6	7	8
1	नैनीताल	अधौड़ा	पदमपुर	4757	2923म0	5.296	उत्तराखण्ड सरकार वर्ग 9(3) ड़0

उक्त भूमि को वन क्षेत्राधिकारी, डांडा हल्द्वानी वन प्रभाग, हल्द्वानी द्वारा अपने कब्जे में ले लिया गया है। (संलग्नक-03)

अतः उक्त के क्रम में आपसे निवेदन है, कि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चिन्हित 5.296है0 सिविल भूमि को भारतीय वन अधिनियम 1927, यथासंसोधित (केन्द्रीय अधिनियम संख्या-16 वर्ष 1927) की धारा-29 के अन्तर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाना है, जिस हेतु अधिसूचना का ड्राफ्ट (हिन्दी व अंग्रेजी) संलग्नक-04, शासनादेश हेतु संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जा रहा है।

संलग्न-यथोपरि।

संलग्नक- 1.सैद्धान्तिक स्वीकृति की छायाप्रति।
2. अमलदरामद आदेश।
3. वन क्षेत्राधिकारी, डांडा द्वारा लिया गया कब्जा।
4. अधिसूचना का ड्राफ्ट (हिन्दी व अंग्रेजी)।
5. खतौनी की प्रति।
R.N 2019/5m/16/12/24 6. चयनित क्षतिपूरक वनीकरण क्षेत्र का जियो रिफरेन्स मैप।

सहायक सचिव ... [illegible]
[signature] 17/12

भवदीय,
[signature]
(कुन्दन कुमार)
प्रभागीय वनाधिकारी,
हल्द्वानी वन प्रभाग, हल्द्वानी।

पत्रांक 1256 /........उक्त दिनांकित।

प्रतिलिपि- प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड देहरादून को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि- अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, नैनीताल को उनके पत्र संख्या 1660/15 एम0जी0 दिनांक-17/08/2024 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

[signature]
(कुन्दन कुमार)
प्रभागीय वनाधिकारी,
हल्द्वानी वन प्रभाग, हल्द्वानी।

Scanned with OKEN Scanner

Scanned by CamScanner

PM

सीलनक-6

	...ail	Application_No	Application No (New)	Date of IN-PRINCIPLE	Amount to be Paid/Amount Paid (in Rs.)	Payment Status	Payment Detail	Demand Letter
	...71/2015 (...aspx? ...K/ROAD/9471/2015) ...aphura motor road	ROAD94712015850	6194710850	17 Nov 2020	CA: 2015012/- , Addl CA : 0/- PCA: 0/- , CAT : 0/- Safety Zone: 0/- , Addl PA : 0/- NPV: 2524860/- , Other Charges : 0/- Other Charges1 : 0/- Other Charges2 : 0/- Other Charges3 : 0/- Total : 4539872/-	Paid	Fund Demand Verified by Nodal Officer On : 22 Sep 2022 Bank Name : Union Bank Of India Mode of Payment : NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated On : 23 Sep 2022 Transaction Date : 16 Nov 2022	Demand Letter (../writereaddata/Fundpdf/21092022114910942_FPUKRO/ Generated Challan (../UserAccount/Neft_Challan.aspx?pid=
	FP/UK/ROAD/8248/2014 (../viewreport.aspx? pid=FP/UK/ROAD/8248/2014) Damoli-Pitholi motor road. (1)	ROAD82482014280	6182480280	17 Feb 2021	CA: 802498/- , Addl CA : 0/- PCA: 0/- , CAT : 0/- Safety Zone: 0/- , Addl PA : 0/- NPV: 781830/- , Other Charges : 0/- Other Charges1 : 0/- Other Charges2 : 0/- Other Charges3 : 0/- Total : 1584328/-	Paid	Fund Demand Verified by Nodal Officer On : 08 Feb 2022 Bank Name : Union Bank Of India Mode of Payment : NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated On : 09 Feb 2022 Transaction Date : 11 Feb 2022	Demand Letter (../writereaddata/Fundpdf/070220221526185527_FPUKRO/ Generated Challan (../UserAccount/Neft_Challan.aspx?pid=
3	FP/UK/ROAD/39655/2019 (../viewreport.aspx? pid=FP/UK/ROAD/39655/2019) Construction of approach road from Nawali from Km. 11 of Laxmikhan-Nathuwakhan-Pura-Qurab motor road to Losgayani in Ramgarh Block of District Nainital (2)	ROAD396552019996	6139655996	27 Jan 2021	CA: 631208/- , Addl CA : 0/- PCA: 0/- , CAT : 0/- Safety Zone: 0/- , Addl PA : 0/- NPV: 614952/- , Other Charges : 0/- Other Charges1 : 0/- Other Charges2 : 0/- Other Charges3 : 0/- Total : 1246160/-	Paid	Fund Demand Verified by Nodal Officer On : 07 Mar 2021 Bank Name : Corporation Bank Mode of Payment : NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated On : 08 Mar 2021 Transaction Date : 31 Mar 2021	Demand Letter (../writereaddata/Fundpdf/21126124712124 Generated Challan (../UserAccount/Neft_ChallanCorp.aspx?
4	FP/UK/ROAD/42523/2019 (../viewreport.aspx? pid=FP/UK/ROAD/42523/2019) Construction of motor road from Matiyali to Prachin Mandir Kaliro through Km. 10 of Mauna-Lweshal- Kalapatal and Prathmik Pathshala in Ramgarh Block under Nainital district. (3)	ROAD425232019828	6142523828	20 Oct 2020	CA: 606931/- , Addl CA : 0/- PCA: 0/- , CAT : 0/- Safety Zone: 0/- , Addl PA : 0/- NPV: 760500/- , Other Charges : 0/- Other Charges1 : 0/- Other Charges2 : 0/- Other Charges3 : 0/- Total : 1367431/-	Paid	Fund Demand Verified by Nodal Officer On : 09 Feb 2021 Bank Name : Corporation Bank Mode of Payment : NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated On : 08 Mar 2021 Transaction Date : 31 Mar 2021	Demand Letter (../writereaddata/Fundpdf/1112812321212E Generated Challan (../UserAccount/Neft_ChallanCorp.aspx?
5	FP/UK/ROAD/46607/2020 (../viewreport.aspx? pid=FP/UK/ROAD/46607/2020) New construction of motor road from Pangkatara to Khalar under developmental Betalghat of Vidhan Sabha constituency of Nainital district under state plan (4)	ROAD466072020603	6146607603	18 Feb 2021	CA: 1153169/- , Addl CA : 0/- PCA: 0/- , CAT : 0/- Safety Zone: 0/- , Addl PA : 0/- NPV: 1444950/- , Other Charges : 0/- Other Charges1 : 0/- Other Charges2 : 0/- Other Charges3 : 0/- Total : 2598119/-	Paid	Fund Demand Verified by Nodal Officer On : 09 Mar 2021 Bank Name : Corporation Bank Mode of Payment : NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated On : 15 Mar 2021 Transaction Date : 31 Mar 2021	Demand Letter (../writereaddata/Fundpdf/31181238121931 Generated Challan (../UserAccount/Neft_ChallanCorp.aspx?
6	FP/UK/ROAD/46634/2020 (../viewreport.aspx? pid=FP/UK/ROAD/46634/2020) Construction of motor road in district Nainital under Ramgarh Block via Nathuwakhan Suyalbari motor road, chhimi to Matela till Tola Bhumiya dev Mandir (5)	ROAD466342020712	6146634712	17 Feb 2021	CA: 1183516/- , Addl CA : 0/- PCA: 0/- , CAT : 0/- Safety Zone: 0/- , Addl PA : 0/- NPV: 1153035/- , Other Charges : 0/- Other Charges1 : 0/- Other Charges2 : 0/- Other Charges3 : 0/- Total : 2336551/-	Paid	Fund Demand Verified by Nodal Officer On : 08 Mar 2021 Bank Name : Corporation Bank Mode of Payment : NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated On : 08 Mar 2021 Transaction Date : 31 Mar 2021	Demand Letter (../writereaddata/Fundpdf/2112612521212(Generated Challan (../UserAccount/Neft_ChallanCorp.aspx?

Photo Copy Attested

Assistant Engineer
Construction Division
P.W.D., Nainital.

Scanned by CamScanner

संलग्नक–7

परियोजना का नामः– जनपद नैनीताल में दरमोली पिठाली सम्पर्ग मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.19 हैक्टयर वनभूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन। (प्रस्ताव सं0 FP/UK /ROAD/ 8248/2014)

शपथ पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जो अंतिम रूप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जाए।

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0नि0वि0
नैनीताल।

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0नि0वि0
नैनीताल।

Scanned by CamScanner

संलग्नक–8

परियोजना का नामः– जनपद नैनीताल में दरमोली पिठाली सम्पर्ग मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.19 हैक्टयर वनभूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन। (प्रस्ताव सं0 FP/UK /ROAD/ 8248/2014)

बचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ो की कटाई को न्यूनतम रखेगा एवं प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या प्रस्ताव के अनुसार 213 trees and 4 saplings से अधिक नही होगी एवं पेड राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के साथ पेडो की कटाई की लागत जमा की जाएगी।

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड–लो0नि0वि0
नैनीताल।

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
नैनीताल

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0नि0वि0
नैनीताल।

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
नैनीताल

Scanned by CamScanner

संलग्नक–9

परियोजना का नाम:– जनपद नैनीताल में दरमोली पिठाली सम्पर्ग मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.19 हैक्टयर वनभूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन। (प्रस्ताव सं0 FP/UK /ROAD/ 8248/2014)

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त परियोजना में लागू नही इसलिए भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की पर्यावरणीय स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है।

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड–लो0नि0वि0
नैनीताल।

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
नैनीताल

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0नि0वि0
नैनीताल।

निर्माण खण्ड लो०नि०वि०
नैनीताल.

Scanned by CamScanner